सीमा के सहारे सहारे खसरा नम्बर 1139/165 के दक्षिणी पश्चिमी कोने से खसरा नम्बर 162 के उत्तरी पश्चिमी कोने तक रास्ता दिया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 3 को कोई एतराज आपत्ति नहीं है, जहाँ से भूमि खसरा नम्बर 161/1, 161/2 में आवागमन कर सकते है। हस्तगत प्रकरण में न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि प्रार्थीगण की जोतों तक पहुचनें के लिए कोई रास्ता मौजूद नहीं है तथा प्रार्थीगण की जोतो पर पहुचनें के लए अप्रार्थीगण संख्या 3 द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र मय अतिरिक्त कथन के पैरा संख्या 14 के अनुसार रास्ता कायम किये जाने पर अप्रार्थीगण भूमि दो टुकड़ों में विभक्त नहीं होगी तथा उक्त पैरा संख्या 14 के अनुसार रास्ता कायम किये जाने पर अप्रार्थीगण सहमत भी है। उक्त विवेचन से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जरिये प्रार्थीगण की जोतो तक पहुचने के कलए रास्ता कायम किया जाना जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajni Singh Rajawat
Date: 2022.06.28 10:30:47 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

प्रार्थीगण झाबर आदि द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आशिंक स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम दुड़िया पटवार हल्का दुड़िया की सरहद में स्थित वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 161/1, 161/2, 162 मे आवागमन हेतु अप्रार्थीगण संख्या 3 की सहखातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1139/165 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे खसरा नम्बर 1139/165 के दक्षिणी पश्चिमी कोने से खसरा नम्बर 162 के उत्तरी पश्चिमी कोने तक 4 मीटर चौड़ा रास्ता अप्रार्थीगण संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत जबाब प्रार्थना पत्र मय अतिरिक्त कथन के पैरा संख्या 14 के अनुसार राजकीय रास्ता कायम किया जाता है। प्रार्थीगण

Scanned with CamScanner